ग्रामीण भारत में भू–स्वामित्व एवं भूमि–सुधार

डॉ० नसरीन सबा

भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् ग्रामीण कृषि–व्यवस्था में सुधार करने के लिए भूमि–व्यवस्था में संशोधन करना आवश्यक समझा गया। इस समय इस मान्यता को विशेष महत्व दिया गया कि भूमि पर किसानों के स्थायी अधिकार को मान्यता दिये बिना न तो कृषि–उपज में वृद्धि हो सकती है और न ही ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से वांछित लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। भूमि–सुधार कानूनों को अधिक व्यावहारिक रूप दिया जाय। विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर अब सरकार एक ऐसी व्यापक और समन्वित नीति पर विचार कर रही है जिसके द्वारा भूमिहीन कृषकों तथा बड़े भू–स्वामियों के शोषण में फंसे हुए छोटे कृषकों को कृषि–योग्य भूमि की अधिक सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। वास्तव में भूमि–सुधार सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था तथा सामाजिक संरचना का आधार है।